

फा0सं0-एफ-11015/2/2008-सामान्य प्रशासन

भारत सरकार

विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016

(सामान्य प्रशासन अनुभाग)

दिनांक: 9 फरवरी, 2009

निविदा सूचना

विषय: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में सरकारी कार्यालय उपयोग के लिए डीएलवाई कारों अर्थात्-अम्बेसडर, टाटा इंडिका इत्यादि को किराये पर लेना: दरें आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

1.4.2009 अथवा संविदा के निर्णय की तिथि से, जो भी बाद में हो, एक वर्ष की अवधि के लिए दैनिक तथा आवश्यकता के आधार पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए चालक सहित प्राइवेट टैक्सियों अर्थात् अम्बेसडर/टाटा इंडिका इत्यादि को भाड़े पर लेने के लिए वार्षिक दर संविदा के निर्णय के लिए प्रतिष्ठित दूर एंड ट्रेवल एजेंसियों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कारें अच्छी दशा में होनी चाहिए और संबंधित मोटर वाहन नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

1. केवल उन्हीं सेवा प्रदाता कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनके पास टेंडर खोलने की तिथि को, दिल्ली सरकार/राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा। अपंजीकृत फर्मों के प्रस्तावों को एक दम निरस्त कर दिया जाएगा

2. केवल वे ही आपरेटर अपनी दरें उद्धृत करें, जिनके पास कम से कम पाँच डीएलवाई कारें हों। दरों को अंतिम रूप देने से पहले अयोहस्ताक्षरी द्वारा पाँच डीएलवाई कारों पर उनके वास्तविक स्वामित्व का सत्यापन किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि आपरेटरों के पास विनिर्दिष्ट संख्या में कारें नहीं हैं, तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी (पंजीकरण प्रमाण-पत्र और परमिट की सत्यापित फोटो कापियां टेंडर के साथ संलग्न होनी चाहिए)।

3. आपरेटर केन्द्रीय उत्पाद विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास 15 अंकों का सेवा कर कोड होना चाहिए और वह सेवा कर का भुगतान कर रहा हो।


4. टेंडर को दोहरे मुहरबन्द लिफाफों में भेजा जाना चाहिए। बाहरी लिफाफे पर डीएसआईआर के लिए डीएलवाई कारों हेतु दरें लिखा हो और यह अवर सचिव (सा.प्रशा.), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, कमरा सं0 38, टाइफैक हटमेंट्स, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 के नाम से भेजा जाना चाहिए। निविदादाताओं को डी.डी.ओ, डीएसआईआर, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर द्वारा 10,000/-रूपए (दस हजार रूपए मात्र) की धरोहर राशि अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात् असफल निविदा दाताओं को धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता को निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।

PK

6. मिटाई गई/विकृत उद्धृत दरों/विकृत वाले टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों पर स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएं, अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. टेंडर को स्वीकार करने की शक्तियां विभाग के पास हैं और विभाग न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। करार की अवधि के दौरान दरों के संशोधन के लिए टेंडर के किसी भी प्रकार के अनुरोध पर चर्चा नहीं की जाएगी।
8. विभाग को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी टेंडरों को निरस्त करने का अधिकार है। विभाग को किसी भी टेंडर को पूर्णतः अथवा उसके किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का भी अधिकार है।
9. टेंडर/करार संलग्न 'अनुबंध-I' में दी गई शर्तों के अधीन होंगे।
10. 'टेंडर दस्तावेज' विभाग की वेबसाइट www.dsir.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन), कमरा सं0 37, टाईफैक हटमेंट्स, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
11. दरें टेंडर दस्तावेज के साथ संलग्न 'अनुबंध-II' में दिए गए प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए

मुहरबन्द दरें 24.02.2009 तक सांय 3.00 बजे से पहले-पहले प्रस्तुत की जाएं। दरें उसी दिन 4.00 बजे सांय कमरा सं0 बी-3, हॉल बी, टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली में प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।


(एस.के. कालड़ा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नियम एवं शर्तें

दर करार 01.04.2009 से 31.12.2009 अथवा करार होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। न्यूनतम अथवा वास्तविक सेवाओं अथवा वास्तविक सेवा उपयोग के संबंध में कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती। फिर भी, पिछले वर्ष की अवधि के दौरान ऐसी सेवाओं पर लगभग 6.5 लाख रूपए (छःलाख पचास हजार रूपए मात्र) का व्यय हुआ था।

2. सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों पर प्राइवेट टैक्सी सेवाओं की आवश्यकता होती है। फिर भी, ये सेवाएं सप्ताह के सभी सातों दिन और राष्ट्रीय अवकाशों पर भी अपेक्षित होगी। वार्षिक दर करार के अंतर्गत सेवा-प्रदाता सभी दिवसों पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

3. किराये पर ली गई टैक्सी केवल इस विभाग के उपयोग के लिए होगी और किसी भी परिस्थिति में सेवा-प्रदाता सहित किसी अन्य उपयोगकर्ता के साथ भागीदारी की अनुमति नहीं होगी।

4. सेवा के लिए प्रदान की गई टैक्सियों का रखरखाव उत्कृष्ट चालन हालत में होना चाहिए। प्रदान की गई टैक्सी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले रोज विधिवत् साफ और धुली होनी चाहिए। यदि डीएसआईआर टैक्सी की व्यवस्था इसके रखरखाव साफ-सफाई में संतुष्ट नहीं हुआ, तो बोली लगाने वाला डीएसआईआर द्वारा स्वीकृति के लिए तुरन्त एक वैकल्पिक टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में डीएसआईआर का निर्णय अन्तिम होगा और सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई कोई भी आपत्ति करार का उल्लंघन माना जाएगा और इस विभाग द्वारा ऐसे सेवा आपूर्तिकर्ता के साथ दर करार के समापन का भागी होगा।

5. इस प्रकार किया गया करार फर्म द्वारा निष्पादन प्रतिभूति के रूप में डीडीओ, डीएसआईआर के पक्ष में 30,000/-रु० डिमांड ड्राफ्ट जमा करने पर तथा नियम और शर्तों पर अपनी सहमति देने की तारीख से प्रारम्भ होगा। प्रतिभूति की जमा की राशि करार की अवधि समाप्त होने पर ही वापिस ली जा सकेगी। किया गया करार विभाग द्वारा बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इस मामले में विभाग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

र.क.

6. कार्य के सामान्य घण्टे प्रतिदिन 10 घंटे होंगे।
7. स्वीकृत मूल्य संविदा की पूरी अवधि के दौरान स्थिर एवं स्थायी रहेंगे और किसी भी कारण उनमें होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार उसमें कोई बदलाव स्वीकार नहीं होंगे।
8. करार की अवधि के दौरान सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में प्रतिभूति जमा की राशि जब्त कर ली जाएगी। इस करार से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली के न्यायालयों का होगा।
9. यात्रा शुरू होने के बाद यह यात्रा किसी खराबी के कारण पूरी न होने की स्थिति में, डीएसआईआर बाजार से कोई अन्य टैक्सी किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, भुगतान की आधिक्य राशि सेवा प्रदाता के मासिक बिल से वसूल की जाएगी
10. यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सेवा के लिए प्रदान किए गए प्रत्येक वाहन के साथ ऐसे प्रशिक्षित ड्राइवर उपलब्ध कराए, जिनके पास दर संविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर सावधानीपूर्वक एवं सुरक्षात्मक ढंग से ड्राइविंग करने के कौशल में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो, कस्टमर के साथ कार्रवाई करने में शिष्ट हो, आपरेटिंग उपकरणों में प्रशिक्षित हो और शहर की गलियों और रास्तों की अच्छी जानकारी हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी कि वह ड्राइवरों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। 60 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइवर स्वीकार्य नहीं होंगे। तैनात किए गए ड्राइवर को टैक्सी में अधिष्ठापित आग बुझाने के पोर्टेबल उपकरणों को आपरेट करने और यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी हो, रात्रि में टार्च अथवा वर्षा आदि के दौरान छतरी के साथ कस्टमर को कार्यालय/अन्य भवन तक साथ आना चाहिए।
11. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर की सुरक्षा जांच का सत्यापन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा। तथापि, डीएसआईआर दर संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय ड्राइवर के पुलिस सत्यापन कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर से गत वर्षों के दौरान ड्राइविंग के दौरान कोई दुर्घटना न हुई हो। ड्राइवर को सेवा से सम्बद्ध वर्दी में होना चाहिए और उपयोगकर्ता के साथ शिष्ट व्यवहार बना कर रखना चाहिए।
12. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर को डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि के दौरान वर्किंग मोबाइल उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो खुला रहना चाहिए। ड्राइवर द्वारा किसी दुर्व्यवहार अथवा ड्राइवर के कार्य करने के दौरान पाई गई अन्य कोई कमी के बारे में पता लगने

ए.क.

की स्थिति में बोलीदाता को 24 घंटे के भीतर वैकल्पिक ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा। ड्राइवर की असंतोषजनक सेवा के बारे में सेवा प्रदाता द्वारा कोई विवाद नहीं किया जा सकता है।

13. उपलब्ध कराया गया ड्राइवर शिक्षित होना चाहिए ताकि वह यात्रा करने वाले अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित यात्रा के प्रत्येक अवसर पर प्रारम्भिक किलोमीटर, अंतिम किलोमीटर, तय की गई दूरी, यात्रा में लगा समय, गंतव्य स्थान आदि के बारे में लॉग बुक में प्रविष्टियां कर सकें और रोजाना अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिपों का रख-रखाव कर सके।

14. ईंधन पर आने वाली लागत, कारों के अनुरक्षण, मोबाइल फोन के प्रभार तथा ड्राइवर का वेतन आदि बोली दाता द्वारा वहन किया जाएगा और डीएसआईआर द्वारा अलग से कोई प्रभारों की अनुमति नहीं होगी।

15. सेवा प्रदाता को ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ईंधन टाइप पर चलने वाली टैक्सी, जिसके लिए मांग की गई थी, की अनुपलब्धता के लिए कोई बहाना अथवा अन्य ईंधन पर वाहन के संचालन के लिए प्रभारों को मंजूर करना स्वीकार्य नहीं होगा।

16. डीएसआईआर को सेवाएं देने के लिए वाहनों के अनुबंध के दौरान सड़क दुर्घटना आदि के कारण, होने वाली कोई क्षति अथवा जखमी होने की स्थिति में मामले सेवा प्रदाता द्वारा देखे जाएंगे। डीएसआईआर अथवा इसके प्रयोगकर्ता को किसी भी रूप में इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण किसी दायित्व के संबंध में अकेले सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी। बोली प्रदाता/सेवा प्रदाता डीएसआईआर द्वारा टैक्सी किराये पर लेने के कारण होने वाले कोई अपराधिक अथवा दीवानी देयता के प्रति डीएसआईआर/डीएसआईआर के उपयोक्ताओं को पूरी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

17. सेवा प्रदाता को वाहन के संबंध में हर समय यात्रियों के बीमा सहित उपयुक्त एवं वैध बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी आवश्यक है।

18. सीमा पार जाने के लिए टोल टैक्स, प्रवेश कर, परमिट शुल्क, यदि कोई हो, अथवा पार्किंग प्रभार डीएसआईआर द्वारा तभी वहन किए जाएंगे जब मासिक बिल के साथ डीएसआईआर को मूल रसीदें भी भेजी जाएं।

PK-2

19. डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा के दौरान हर समय वाहन में सभी संबंधित अद्यतन कागज-पत्र उपलब्ध रहने चाहिए। चालक को बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए।
20. दर संविदाधारी फर्म कैलेण्डर मास के दौरान प्रदान की गई सेवा के लिए आगामी कैलेण्डर मास के प्रथम सप्ताह के अंत तक अपने बिल प्रस्तुत करें।
21. किराये पर ली गई टैक्सी के संबंध में समय और दूरी टैक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली से देखी जाएगी और टैक्नोलॉजी भवन पर ही समाप्त होगी।
22. यात्रा इयूटी के दौरान तय की गई किलोमीटर/माइलेज मीटर/वास्तविक दूरी के साथ छेड़छाड़ का इयूटी के दौरान पता लगने पर इसे गंभीर माना जाएगा और तदनुसार, त्रुटिकर्ता फर्म के करार को निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी।
23. निजी वाहनों को इयूटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इयूटी के लिए केवल कमर्शियल परमिट धारी वाहनों को ही भेजा जाना चाहिए। भुगतान के लिए इस विभाग को भेजे जाने वाले बिल में विनिर्दिष्ट वाहन की पंजीकरण संख्या की जब कभी मांग की जाए, परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा।
24. फर्म के पास अपने वाहनों की शीघ्रता-पूर्वक मरम्मत कराने की क्षमता होनी चाहिए। जब कभी विभाग से कोई मांग प्राप्त हो, फर्मों को वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की स्थिति में होना चाहिए।
25. स्वामी/फर्म को अपने स्वयं के प्रत्यक्ष टेलीफोन (कार्यालय और निवास) और मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना चाहिए ताकि आपात मामलों में टेलीफोन पर बातचीत का होना सुनिश्चित हो सके।

Ph. J.

प्रोफार्मा

विवरण	पेट्रोल		डीज़ल		सीएनजी	
	गैर-वातानुकूलित	वातानुकूलित	गैर-वातानुकूलित	वातानुकूलित	गैर-वातानुकूलित	वातानुकूलित
100 कि.मी. - 10 घंटे						
50 कि.मी. - 5 घंटे						
अतिरिक्त प्रभार प्रति घंटा						
अतिरिक्त प्रभार प्रति कि.मी.						
शहर से बाहर का प्रभार						
(न्यूनतम 200 कि.मी.)						
शहर से बाहर का रात्रि प्रभार						
रात्रि ठहरने का प्रभार						
(12.00 बजे मध्य रात्रि के पश्चात्)						

के.के.

अनुक्र. ४-11